



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 22 दिसम्बर, 2024

थाना अरनिया

जेसीबी लूट का प्रयास करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 2.900 किलोग्राम तांबे का तार, 01 चोरी की मोटरसाइकिल, 2500/- रुपये नकद, व अवैध असलहा कारतूस आदि बरामद।

जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.12.2024 को थाना अरनिया पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर जेसीबी लूट का प्रयास करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को भट्टे वाली पुलिस के पास से चोरी किये गये तांबे के तार, नकदी, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलहा कारतूस आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर क्रमशः मुअसं- 389/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि०, मुअसं- 390/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० व मुअसं- 391/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- रोबिन कुमार पुत्र जगवीर निवासी ग्राम गंगावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मनोज उर्फ अनुज पुत्र कुवंरपाल निवासी ग्राम गंगावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 3- भगवान सिंह नायक पुत्र पीतम निवासी ग्राम नंगला बंजारा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 4- हिमांशू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम गंगावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 2.900 किलोग्राम तांबे का तार
2. 2500/- रुपये नकद
3. 01 मोटर साइकिल बुलेट बिना नम्बर प्लेट
4. 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस
5. 02 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 05.12.2024 को थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत जेसीबी छीनकर ले जाने का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 369/24 धारा 309(5),112 बीएनएस बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 31.11.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अरनिया खुर्द में ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 362/24 धारा 303(2),324(4),324(5),317(2),112 बीएनएस बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा थाना पहासू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अटैरना से दो इंच चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं-101/24 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित 2500/- रुपये बरामद किये गये है।

अभियुक्तों द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को जनपद हाथरस से चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त रोबिन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 362/24 धारा 303(2),324(4),324(5),317(2),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 369/24 धारा 309(5),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 101/24 धारा 379,411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 389/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज उर्फ अनुज का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 362/24 धारा 303(2),324(4),324(5),317(2),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 369/24 धारा 309(5),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 101/24 धारा 379,411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 390/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त भगवान सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 362/24 धारा 303(2),324(4),324(5),317(2),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 369/24 धारा 309(5),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 101/24 धारा 379,411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 391/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 362/24 धारा 303(2),324(4),324(5),317(2),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 369/24 धारा 309(5),112 बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 101/24 धारा 379,411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री पम्मी चौधरी थाना प्रभारी अरनिया
2. उ0नि0 केदार नाथ राय, उ0नि0 सौरभ कुमार, उ0नि हरपाल सिंह
3. का0 हिमांशू, का0 विपिन कुमार, का0 विष्णु चौधरी



मीडिया सेल बुलंदशहर